प्रति हस्ताक्षर

उप पंजीयक
15-07-26

आयुषी बंसल

प्रमाणित प्रतिलिपि
आदेश दिनांक 02-07-2026
लुईस कासाकोवेरा बनाम मैसर्स कासल मुण्डोता
सिवि. निगरानी/परिवाद 222/2025

राजस्थान राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, जयपुर

समक्षः—

माननीय सुश्री उर्मिला वर्मा, सदस्य (न्यायिक)

माननीय श्री जय गौतम, सदस्य

अपील संख्या 222 / 2025

Luis Casacuberta Abril S/o Albeno Casacuberta, R/o Francese Carbonell, 54, 4, 08034, Barcelona, Spain.

-- **Appellant/Complainant**

Versus

1. Mis Castle Mundota. Through Partner Mr. Vikram Rathore. Address: 2 Karni Nagar, Queens Road. Vaishali Nagar. Jaipur. Rajasthan -302021, and Village Mundota, Mundota Road, Tehsil Amer. Police Station Amer, Jaipur, Rajasthan.303706
2. Mundota Fort and Palace, Through Director of Operations: Mr. Digvijaya Singh. Address: Village Mundota. Mundota Road. Tehsil Amer. Police Station Amer, Jaipur. Rajasthan - 303706
3. Mr. Digvijaya Singh. Director of Operations, Address: Mundota Fort and Palace (a Unit of M/s Castle Mundota). Village Mundota, Mundota Road. Tehsil Amer, Police Station Amer. Jaipur. Rajasthan
4. Mr. Vikram Rathore. Partner, M/s Castle Mundota, Address: 2. Karni Nagar. Queens Road, Vaishali Nagar, Jaipur, Rajasthan - 302021

---**Respondents/Non Complainant**

कार्यालय राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग राजस्थान जयपुर

सत्य प्रतिलिपि

उपस्थितः—

1. अपीलार्थी / परिवादी की ओर से श्री हिमांशु सुमन एवं आयुषी बंसल, अधिवक्ता।
2. प्रत्यर्थीगण / विपक्षीगण की ओर से श्री शुभम अरोडा, अधिवक्ता।

बहस सुनने की दिनांक :—15.05.2026

निर्णय सुनाने की दिनांक :—2.07.26

उर्मिला
सदस्य (न्यायिक)
राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग
राजस्थान, जयपुर

निर्णय

द्वाराः— सुश्री उर्मिला वर्मा, सदस्य (न्यायिक)

यह अपील अपीलार्थी/परिवादी Luis Casacuberta Abril की ओर से प्रत्यर्थीगण/विपक्षीगण Mis Castle Mundota. Through Partner एवं अन्य के विरूद्ध विद्वान जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, जयपुर तृतीय, जयपुर के द्वारा परिवाद प्रकरण संख्या 372/2022 बउनवान "Luis Casacuberta Abril VS Mis Castle Mundota. Through Partner एवं अन्य" में पारित आदेश दि0 19.07 2024 के विरूद्ध प्रस्तुत की है, जिसके द्वारा उन्होंने अपीलार्थी/परिवादी का प्रार्थना पत्र दि0 16.01.2023 अस्वीकार कर खारिज कर दिया।

02. परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संक्षित तथ्य इस प्रकार हैं कि पक्षकारान के मध्य विद्वान जिला उपभोक्ता आयोग के समक्ष एक परिवाद सं0 372/2022 बउनवान "Luis Casacuberta Abril VS Mis Castle Mundota. Through Partner एवं अन्य" विचाराधीन है, जिसमें दौराने लम्बित परिवाद परिवादी ने एक प्रार्थना पत्र दि0 16.01.2023 को इस आशय का प्रस्तुत किया था कि परिवादी के अन्य मेहमानों को इस प्रकरण में शामिल किया जावे। परिवादी ने इससे पूर्व अपना विस्तृत परिवाद पत्र एवं शपथ—पत्र प्रस्तुत कर दिया था तथा जो लाभ परिवादी को दिया जाये वही लाभ परिवादी के अन्य मेहमानों को संयुक्त रूप से प्रकरण में जोड़ते हुए दिया जावे। परिवादी ने प्रार्थना की है कि उसके अन्य मेहमानों को भी इस प्रकरण में शामिल करने एवं 10,03,000/— रूपये का भुगतान 18 प्रतिशत ब्याज सहित दिलाया जावे।

03. विपक्षीगण ने जवाब प्रार्थना पत्र में यह अभिकथन किया कि परिवादी को ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं है और यदि ऐसा किया जाता है तो वह न्यायोचित नहीं होगा तथा परिवादी ने 10,03,000/—रूपये एवं 40,000/— रूपये अदा किये है तथा जिनके द्वारा स्वयं कभी रिफण्ड नहीं चाहा है और परिवादी को ना तो मेहमानों द्वारा अधिकृत किया गया है और ना ही परिवाद के किसी पैराग्राफ में अधिकृत किया गया है तथा जिन व्यक्तियों की परिवादी पैरवी कर रहा है, उन्होंने किसी प्रकार के रिफण्ड की मांग नहीं की है। निर्धारित समयावधि गुजरने के बाद परिवादी के मेहमानों का क्लेम अवधि बाहर हो चुका है तथा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के अन्तर्गत रिप्रंसटेटिव कंपलैण्ट पेश नहीं की जा सकती है।

विपक्षी द्वारा जवाब परिवाद प्रस्तुत किया जा चुका है और उसके पश्चात् वर्तमान प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 35 (1) (सी) उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 कानूनन पोषणीय नहीं है। इस प्रकार विपक्षीगण ने परिवादी का प्रार्थना खारिज किये जाने की प्रार्थना की है।

04. विद्वान जिला उपभोक्ता आयोग ने उभय पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य एवं अभिवचनों के आधार परिवादी का प्रार्थना पत्र विरूद्व विपक्षीगण अस्वीकार कर खारिज कर दिया, जिससे व्यथित होकर परिवादी ने यह अपील प्रस्तुत की है।

05. हमने उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

06. विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी/परिवादी ने अपील मीमो में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए यह तर्क दिया है कि विद्वान जिला उपभोक्ता आयोग द्वारा पारित आदेश दि0 19.07.2024 के विरुद्ध अपीलार्थी/परिवादी द्वारा यह अपील पेश की गई है और उन्होंने विद्वान जिला उपभोक्ता आयोग द्वारा पारित आदेश दि0 19.07.2024 को अपास्त किये जाने की प्रार्थना की है।

07. प्रत्यर्थीगण/विपक्षीगण के विद्वान अधिवक्ता ने अपीलार्थी के तर्को का विरोध करते हुए परिवादी का आवेदन पत्र अन्तर्गत आदेश 01 नियम 08 सिविल प्रक्रिया संहिता खारिज किए जाने को न्यायोचित बताया है और यह भी बहस की है कि परिवादी को किसी भी व्यक्ति ने यह परिवाद पेश करने के लिए अधिकृत नहीं किया है। अतः अपीलार्थी की अपील खारिज की जावे।

08. हमने उभय पक्ष के तर्को पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

09. यह सही है कि आदेश 01 नियम 08 सिविल प्रक्रिया संहिता के अनुसार परिवाद पेश किए जाने से पूर्व ही आदेश 01 नियम 08 सिविल प्रक्रिया संहिता का आवेदन पेश करने की अनुमति आयोग से ली जानी चाहिए थी। परिवादी के द्वारा अपने परिवाद में 10,03,000/– रूपये 40,000/– रूपये मय ब्याज वापस लौटाये जाने की मांग की गई है। पारिवादी के द्वारा अपने परिवाद के चरण संख्या–04 में निम्न प्रकार उद्धरित किया हुआ है:–

"The celebrations were initially scheduled to be held in April 2020 (Two Thousand and Twenty), were thereafter postponed to April 2021 (Two Thousand and Twenty-one) and subsequently cancelled in February 2021 (Two Thousand and Twenty-one) due to the COVID-19 (COVID-Nineteen) pandemic related restrictions on

social events and restrictions on entry of foreigners into India. Hence, there is sameness of interest between the Complainant and the various consumers on whose behalf this Complaint is being filed. A list of the various consumers (hereinafter referred to as the "Wedding Guests") on whose behalf this Complaint is being filed along with the amounts paid by them to the Opposite Party No. 2 (Two) has been set out hereinbelow:"

इसी पैराग्राफ में एक सारिणी बनाकर उन सभी मेहमानों का नाम अंकित किया है जिन्होंने विपक्षीगण के यहाँ प्रवास किया ओर देय राशि आगुन्तक की संख्या अंकित करते हुए सारिणी के रूप में लिखा गया है। परिवाद के चरण संख्या–05 में वैकल्पिक प्रार्थना यह भी की गई कि यदि परिवादी को विवाह के सभी अतिथियों के लिए परिवाद प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं दी जाती है तो भी धारा 02(7)II उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार परिवादी को हितग्राही मानते हुए परिवाद प्रस्तुत करने की अनुमति दी जावे।

10. परिवाद के उक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए इस प्रक्रम पर यह तय किया जाना उचित नहीं होगा कि परिवादी अपने परिवाद को पूरी तरह से बदलना चाहता है और अन्य अतिथियों के आधार पर परिवादी का परिवाद अवधि बाहर है। परिवादी के द्वारा अपने परिवाद के पैरा संख्या– 04 एवं 05 में सभी अतिथियों के नाम का अंकन किया गया है। आदेश 01 नियम 08 सिविल प्रक्रिया संहिता बहुसंख्यक व्यक्तियों को एक सुविधा प्रदान करने वाला है परिवादी ने अपने गेस्ट का विवरण पूर्व में ही अपने परिवाद में किया हुआ है। इस स्थिति में परिवादी को आदेश 01 नियम 08 सीपीसी की अनुमति दिए जाने से केवल इस आधार पर इंकार करना उचित नहीं है कि प्रक्रम बदल जाने पर Representative Suit नहीं किया जा सकता। पावर ऑफ अटॉर्नी तथा अधिकार पत्र लिए जाने की भी आवश्यकता नहीं है। आदेश 01 नियम 08 सिविल प्रक्रिया संहिता लोक प्रकाशक के माध्यम से पक्षकारों की सहमति और असहमति ली जा सकती है।

11. जहां इस अनुचित संविदा से संबंधित विवाद को भी तय करने का क्षेत्राधिकार विद्वान जिला उपभोक्ता आयोग को नहीं है। यह सही है कि अनुचित संविदा के विवाद को तय करने का अधिकार राज्य उपभोक्ता आयोग तथा माननीय राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग को है परंतु आदेश 01 नियम 08 सीपीसी के प्रार्थना पत्र को तय करने के लिए इस बिंदु को किया जाना सुसंगत नहीं है। यदि किसी

पक्षकार के द्वारा इस संबंध में कोई प्रार्थना की जाती है तभी इस संबंध में न्याय निर्णय भी उचित माना जा सकता है। इस प्रकार विद्वान जिला उपभोक्ता आयोग द्वारा अपीलार्थी/परिवादी का प्रार्थना पत्र खारिज किए जाने में विधिक त्रुटि की है।

12. उभय पक्ष की ओर से नियाद के संबंध में न्यायिक दृष्टांत पेश किये गये हैं, जो आदेश 01 नियम 08 सिविल प्रक्रिया संहिता से संबंधित नहीं हैं अतः उन पर विवेचन करने की आवश्यकता नहीं है। परिवादी ने अपने परिवाद में सारिणी बनाकर अपने अतिथियों का नाम अंकित करते हुए उनके संबंध में किए गए खर्चे का विवरण पेश किया है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम उपभोक्ता के संरक्षण हेतु बनाया गया है। अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 01 नियम 08 सिविल प्रक्रिया संहिता के अभिवचन परिवाद में ही इनबिल्ट होने से यह प्रार्थना पत्र स्वीकार किए जाने योग्य है। विद्वान जिला उपभोक्ता आयोग द्वारा परिवाद के दर्ज रजिस्टर के समय ही इस संबंध में आदेश पारित करना चाहिए था। अतः अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत अपील स्वीकार किये जाने योग्य है और परिवादी द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र दि0 16.01.2023 स्वीकार किये जाने योग्य है तथा विद्वान जिला उपभोक्ता आयोग को यह भी निर्देशित किये जाने योग्य है कि वह परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 01 नियम 08 सिविल प्रक्रिया संहिता की अपेक्षाओं को पूरी करें।

आदेश

अतः अपीलार्थी/परिवादी Luis Casacuberta Abril की ओर से प्रत्यर्थीगण/विपक्षीगण Mis Castle Mundota. Through Partner एवं अन्य के विरूद्ध प्रस्तुत यह अपील स्वीकार की जाती है। विद्वान जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, जयपुर तृतीय, जयपुर के द्वारा परिवाद प्रकरण संख्या 372/2022 बउनवान "Luis Casacuberta Abril VS Mis Castle Mundota. Through Partner एवं अन्य" में पारित आदेश दि0 19.07.2024 अपास्त किया जाकर अपीलार्थी/परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दि0 16.01.2023 स्वीकार किया जाता है तथा विद्वान जिला उपभोक्ता आयोग को निर्देशित किया जाता है कि वह परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 01 नियम 08 सिविल प्रक्रिया संहिता की अपेक्षाओं को पूरी करें।

पक्षकारान को आदेशित किया जाता है कि वे विद्वान जिला उपभोक्ता आयोग के समक्ष नियत पेशी को उपस्थित हों।

निर्णय की प्रति के साथ विद्वान जिला उपभोक्ता आयोग का मूल अभिलेख अविलम्ब भिजवाया जावे ।

नोटः— प्रकरण में दि0 15.05.2026 को बहस अंतिम सुनी जाकर निर्णय के लिए रिजर्व रखा गया था लेकिन बेंच के सदस्यों के अन्य सर्किट बेचों में जाने के कारण निर्णय निर्धारित एक माह की अवधि में नहीं लिखाया जा सका।

(जय गौतम)
सदस्य

(उर्मिला वर्मा)
सदस्य(न्यायिक)

सत्य प्रतिलिपि
राज्य आयोग

//सोलंकी//